जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 17.06.2024

पुलिस अधीक्षक महोदय संतकबीरनगर के द्वारा त्यौहार बकरीद में शांति/कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत निरीक्षण किया गया तथा नमाज अदा करके अपने घरों को जाते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को बकरीद की दी गई शुभकामनाएं।

आज दिनाक 17.06.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत कुमार गुप्ता*** द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर, क्षेत्राधिकारी सदर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद मय पुलिस बल के साथ त्योहार बकरीद की नमाज व मेला में शांति/कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु थानाक्षेत्रान्तर्ग स्थित मस्जिद मे लगे फोर्स को चेक किया गया,आमजन से संवाद स्थापित कर त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने हेतु अपील की गयी तथा संबंधित को सुरक्षा सम्बन्धित आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। साथ ही साथ नमाज अदा करके अपने घरों को जाते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को बकरीद की शुभकामनाएं दी गई।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत प्रसादपुर से इवेन्ट संख्या 54294 से कालर द्वारा सड़क मार्ग में अनियंत्रित होकर बाईक से गिर जाने के कारण 02 व्यक्तियों (1-**रामप्रीत पुत्र झिनकू 2-अमित यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासीगण कटार मिश्र थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर**) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को एंबुलेंश की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
***पीआरवी स्टाफ-* मु0 आ0 मोहन प्रजापति, आ0 पवन यादव, हो0 चा0 रामहित प्रजापति।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 60 वाहनों से 50900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.06.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 60 वाहनों से 50900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।